खण्ड-9 संख्या-23

नवम् बिहार विधान-सभा

विधान-सभा वादवृत्त

भाग-1, कार्यवाही प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, तिथि 28 जुलाई, 1988 ई०

ऋण नहीं देने का औचित्य

सह-15. श्री माधव लाल सिंह - क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत कृषि साख समिति के थलवारा पैक्स के 400, गोढ़ियारी पैक्स के 100, घोसरामा पैक्स के 50, डिलाही पैक्स के 50 सदस्यों को वर्त्तमान रब्बी अभियान में सहकारिता ऋण से वंचित रखा गया है, यदि हां, तो अभी तक उक्त पैक्सों के सदस्यों को ऋण से वंचित रखने का क्या औचित्य है?

प्रभारी मंत्री, कृषि एवं सहकारिता विभाग - (1) उत्तर नकारात्मक है। वास्तविकता यह है कि थलवारा पैक्स में 572 सदस्यों के लिए साख-सीमा प्राप्त हुई थी जिसमें 514 की साख-सीमा बैंक द्वारा स्वीकृत की गई थी।

गोढ़ियारी पैक्स नहीं है, बल्कि ग्राम है जो मोहम्मदपुरा-गरौल पैक्स में है। मोहम्मदपुर गरौल पैक्स में 323 सदस्यों की साख-सीमा बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया।

घोसरामा पैक्स नहीं है बल्कि पौरा पैक्स के कार्यक्षेत्र में पड़ता है। पौराम पैक्स में 680 सदस्यों की साख-सीमा प्राप्त हुई थी जिसमें से 662 सदस्यों को बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया।

डिलाही पैक्स में 967 सदस्यों की साख-सीमा प्राप्त हुई थी जिसमें 934 सदस्यों को बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया है।

ऋण अस्वीकृत किये जाने का कारण है कि भूमिहीन सदस्य एवं जिन सदस्यों ने जमीन संबंधी कागज उपलब्ध नहीं करवाया था अन्य कारणों से सदस्यता हेतु अयोग्य समझे गये उन्हें ऋण की स्वीकृति नहीं मिल गई।